

# भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश

राज्य मुख्यालय,

श्रीमति मार्ग, श्रीयमला हिल्स, भोपाल म.प्र.।

Phone : 0755-2661263, 2737446 Fax: 2661263

Website: bsgmp.net, bsgmadhyapradesh@gmail.com

क्रमांक / ३६०४/ रा.मु./ का.अ./ 2017

भोपाल, दिनांक ४/१/२०१७

प्रति,

1. समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)  
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.  
समस्त संभागीय कार्यालय मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)  
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.  
समस्त जिला संघ कार्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय:-- मासिक उपस्थिति एवं अर्जित अवकाश हेतु आवेदन करने के सम्बन्ध में।  
संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. ९७४ दिनांक ०८.०५.२०१७।

विषयांतर्गत एवं संदर्भ में अवगत होना चाहेंगे कि राज्य मुख्यालय से निर्देशित करने के बाद भी मासिक उपस्थिति एवं अर्जित अवकाश हेतु आवेदन निर्धारित समय सीमा में नहीं भेजे जा रहे हैं तथा भेजे जाने वाली जानकारी में त्रुटियाँ भी पाई जाती हैं, जिससे कार्य में व्यवहारिक अवरुद्धता आती है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने संभाग/जिले से सम्बन्धित मासिक उपस्थिति निर्धारित प्रारूप में माह के १५ से २० तारीख तक भेजते हुए राज्य मुख्यालय में प्राप्त सुनिश्चित करें। विलंब से प्राप्त/अप्राप्त होने पर वेतन जारी करना संभव नहीं होगा।

क्र.	नाम	माह	शासकीय	कार्यदिवस	अवकाश	कुल उपस्थिति
		दिवस	अवकाश		(आकस्मिक/अर्जित)	
1						

जिले में पदरथ अधिकारी/कर्मचारी जिला शिक्षा अधिकारी/सहा.आयुक्त आदिवासी विकास पदेन जिला मुख्य आयुक्त से उसी अवधि में हस्ताक्षरित मासिक उपस्थिति पत्रक भेजे। मासिक उपस्थिति भेजने की अवधि में यदि सम्बन्धित की शिविर में नियुक्ति है तो उसके पूर्व अथवा नियुक्त स्थल से उपस्थिति की सूचना लिखित प्रेषित करें/करवायें तथा राज्य सचिव को सूचित करें तथा शिविरोंपरांत तुरंत नियमानुसार जिले से मासिक उपस्थिति प्रेषित करें। मोबाईल कैमरे से खीची उपस्थिति फोटो ई-मेल से प्राप्त होने पर अधिकतर अपठनीय होती है अतः हार्ड कापी व रकेनर से रक्केंड कापी भेजे।

2. अर्जित अवकाश हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में कवरिंग लेटर के साथ कम से कम १५ दिवस पूर्व राज्य मुख्यालय को प्राप्त होना चाहिए व यह सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि में सम्बन्धित की सेवायें शिविर में तो नहीं लगाई गई हैं, तत्सम्बन्ध में राज्य सचिव की र्हीकृति के पश्चात् ही राज्य मुख्यालय को निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदन भेजें।

निर्देशों के पालन में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित व्यक्ति उल्लंघनीय होंगे।

(आलोक खरे)

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक ४/१/२०१७

पृ.क्र. ३६०५ रा.मु./ का.अ./ 2017

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. राज्य मुख्य आयुक्त-भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र.।
2. लेखाधिकारी, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र.।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास पदेन जिला मुख्य आयुक्त।
4. कार्यालय अधीक्षक, राज्य मुख्यालय, भोपाल।
5. स्थापना कक्ष, राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र.।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश